

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 226 / 13

संस्थापन दिनांक : 24.04.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—महिपालसिंह पुत्र श्रीलाल यादव उम्र 54 वर्ष
 - 2—लोकेन्द्रसिंह पुत्र महिपालसिंह यादव उम्र 23 वर्ष
- निवासीगण ग्राम सलमपुरा थाना मौ जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त महिपाल को राजीनामा के आधार पर धारा 294, 323/34, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है और अभियुक्त लोकेन्द्र को राजीनामा के आधार पर धारा 294, 323, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है। उपरोक्त अभियुक्त लोकेन्द्र के विरुद्ध शेष विचारणीय धारा 324/34 भा.द.स. एवं आरोपी महिपाल के विरुद्ध धारा 324 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 14.04.13 को सुबह 8 बजे या उसके लगभग मौ स्थित फरियादी रामप्रसाद अ0सा01 के ट्यूबवैल के पास सह अभियुक्त महिपाल के साथ मिलकर आरोपी लोकेन्द्र ने फरियादी रामप्रसाद को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी महिपाल ने फरियादी रामप्रसाद अ0सा01 को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.04.13 को फरियादी रामप्रसाद अ0सा01 के भाई नारायणसिंह व बदनसिंह का बंटवारा महिपालसिंह से हो रहा था वह लोग अपने ट्यूबवैल पर पहुंचे थे कि आरोपी महिपाल कुल्हाड़ी लिए, लोकेन्द्र लाठी लिए, उनके ट्यूबवैल पर आ गये तथा महिपाल बोला कि मारो मादरचोदों को और महिपाल ने उसे सिर में कुल्हाड़ी मारी

जो उसने अपना सीधा हाथ आगे करके रोका जिससे उसे सीधे हाथ में कलाई के पास घाव हुआ तथा खून निकलने लगा उसका भाई नारायणसिंह बचाने आया तो लोकेन्द्र ने उसे सिर में उल्टे पैर में लाठियां मारीं जिससे सिर व पैर में चोट होकर खून निकलने लगा तीसरा भाई बदनसिंह बचाने आया तो उसे भी लोकेन्द्रसिंह ने लाठियों से मारा जिससे उसके दोनों कंधों में चोट आई। महिपाल बोल रहा था कि जाओ अधिया निकाल कर लाओ गोली मार देते हैं तो उसका लड़का विनोद व एवं राजकुमार आ गये उन्हें देखकर आरोपीगण भाग गये। तत्पश्चात फरियादी रामप्रसाद अ0सा01 ने थाना मौ में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर से आरोपी के विरुद्ध अप0क्र0 53/13 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार करते हुए प्रकरण में विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है कि क्या दिनांक 14.04.13 को सुबह 8 बजे या उसके लगभग मौ स्थित फरियादी रामप्रसाद अ0सा01 के ट्यूबैल के पास सह अभियुक्त महिपाल के साथ मिलकर आरोपी लोकेन्द्र ने फरियादी रामप्रसाद को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी महिपाल ने फरियादी रामप्रसाद अ0सा01 को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. रामप्रसाद अ0सा01 ने कथन किया है कि आरोपीगण उसके भाई भतीजे हैं बंटवारे की बात पर तीन साल पहले आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था जिसमें उसे, नारायण अ0सा02 व बदन अ0सा03 को गिरने से चोटें आई थी आरोपीगण गाली गलौच कर भाग गये थे फिर उसने रिपोर्ट प्र0पी-1 लिखाई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 14.04.13 को आरोपीगण ने उसकी, बदनसिंह अ0सा03 व नारायण अ0सा02 की कुल्हाड़ी से मारपीट की थी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी महिपाल ने उसके सिर में कुल्हाड़ी मारी थी जो सीधे हाथ की कलाई पर लगी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

6. आहत नारायण अ0सा02 व व बदनसिंह अ0सा03 ने भी यही कथन किया है कि आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था और गिरने से उसे चोटें आई थीं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षीगण ने इंकार किया है कि महिपाल ने रामप्रसाद अ0सा01 के सिर में कुल्हाड़ी मारी थी जो सीधे हाथ की कलाई में लगी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस क्रमशः प्र0पी-4 व 5 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

7. अतः आहत रामप्रसाद अ0सा01 जोकि अभियोजन मामले में फरियादी भी है और आहत नारायण अ0सा02 व बदनसिंह अ0सा03 जो आहत होकर प्रत्यक्ष साक्षी भी है और महत्वपूर्ण साक्षी है, के द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है और स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपीगण ने कुल्हाड़ी से रामप्रसाद अ0सा01 को उपहति पहुंचाई। अतः उक्त महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षीगण द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि दिनांक 14.04.13 को सुबह 8 बजे या उसके लगभग मौ स्थित फरियादी रामप्रसाद अ0सा01 के ट्यूबैल के पास सह अभियुक्त महिपाल के साथ मिलकर आरोपी लोकेन्द्र ने फरियादी रामप्रसाद को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी महिपाल ने फरियादी रामप्रसाद अ0सा01 को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।
8. परिणामतः आरोपी महिपाल को धारा 324 भा.द.स. एवं आरोपी लोकेन्द्र को धारा 324/34 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
9. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारहीन किए जाते हैं।
10. प्रकरण में जप्तशुदा बांस की लाठी व लोहे की कुल्हाड़ी अपील अवधि पश्चात विनिष्ट की जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0